FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः—अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

सन्तोष बाई

बनाम शारदा

किस्म मुकदमा—

प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन नं0 19/2020 सन् 2020

2020/000043

2020/000043

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.20	वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए एकतरफा स्थगन चाहने की बहस की गई । वकील प्रार्थी द्वारा जाहिर किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा आपस मे आपराधिक षडयंत्र करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 की पालना करवाने के लिए अपीलान्ट को उसकी ही कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है । यदि प्रार्थी को उसकी खाते की भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी । प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है । अतः प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ख0 नं0 113 रकबा 0.16 हैक्टर, ख0 नं0 114 रकबा 0.65 हैक्टर,, ख0 नं0 116 रकबा 0.25 हैक्टर, ख0 नं0 123 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0 नं0 124 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 125 रकबा 3.67 हैक्टर, खसरा नं0 126 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0 नं0 127 रकबा 0.12 हैक्टर कुल 8 किता रकबा 5.67 हैक्टर भूमि वाके ग्राम हरिपुरा डाढिया तहसील कनवास जिला कोटा मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नही करने का एक पक्षीय स्थगन जारी करने का निवेदन किया गया । अतः दौराने बहस उक्त पत्रावली मे अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के लिए वकील प्रार्थी को कहा गया । लेकिन वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी करने के लिए मना किया गया एवं स्थगन नही दिये जाने पर उक्त पत्रावली मे निर्णय पारित करने को कहा गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उक्त पत्रावली मे अप्रार्थीगणों की सुनवाई किये बिना एक पक्षीय स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर फैसल शुमार होकर मूल अपील के साथ शुमार होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो । अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा	